

अनुमण्डल न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बनमनखी, पूर्णियाँ, बिहार

समक्ष- सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

पूरक जी.आर. वाद सं.- 3606 / 2020 सी.आई.एस.क्र.- 02 / 2026

बिहार राज्य बनाम ब्रह्मदेव सहनी

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
07.04.2026	एकमात्र अभियुक्त अनुपस्थित है। इस प्रकरण के एकमात्र अभियुक्त ब्रह्मदेव सहनी के विरुद्ध समस्त आदेशिकायें निर्गत किये जाने के बावजूद अभियुक्त ब्रह्मदेव सहनी उपस्थित नहीं हुये जिस कारण से उनका अभिलेख दिनांक 16.01.2026 को पृथक कर सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया है। एकमात्र अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में समस्त आदेशिकायें निर्गत की जा चुकी हैं परंतु उक्त अभियुक्त उपस्थित नहीं हुये हैं। अभियुक्त के निकट भवष्य में भी उपस्थित होने की संभावना नहीं है जिससे प्रतीत होता है कि अभियुक्त जानबूझकर अपनी उपस्थिति को छिपा रहे हैं। जिस कारण से अभियुक्त को फरार घोषित किया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह अभियुक्त का नाम फरार पंजी में दर्ज कर अभियुक्त के विरुद्ध स्थायी वारंट निर्गत कर अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें। हस्ताक्षर ह0/- अ0मु0न्या0दं0 बनमनखी, पूर्णियाँ	